प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न - अटल पेंशन योजना

1. पेंशन क्या है ? मुझे इसकी क्या आवश्यकता है ?

पेंशन से लोगों को तब मासिक आय प्राप्त होती है जब वे उपार्जन नहीं कर रहे होते हैं।

पेंशन क्यों आवश्यक है ?

- वृद्धावस्था में उपार्जन करने की क्षमता कम हो जाती है।
- एकल परिवार का प्रादुर्भाव - कमाऊ सदस्यों का प्रवासन।
- जीवन यापन की लागत।
- दीर्घायु होना।

निश्चित मासिक आय से बुढ़ापा सम्मानजनक रूप में कटता है।

2. अटल पेंशन योजना क्या है ?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार की गई है। एपीवाई के अंतर्गत, प्रति माह न्यूनतम 1000/-, 2000/-, 3000/-, 4000/- और5000/- रुपए पेंशन राशि की गारंटी होती है जो अंशदानकर्ताओं को 60 वर्ष का होने पर एवं उनके अंशदान के अनुसार दी जाती है।

3. एपीवाई में कौन अंशदान कर सकते हैं ?

भारत का कोई नागरिक एपीवाई में शामिल हो सकता है। इसकी पात्रता के मानदंड निम्नलिखित हैं :

i अंशदानकर्ता की उम्र 18-40 वर्ष के बीच हो।

ii उसका एक बचत बैंक खाता हो / वह एक बचत बैंक खाता खोल ले।

iii इच्छुक आवेदक का एक मोबाइल नंबर हो और जिसका विवरण बैंक में पंजीकरण करते समय भरा जा सके ।

सरकार द्वारा प्रत्येक पात्र अंशदानकर्ता, जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच इस योजना में शामिल होते हैं, के लिए 5 वर्ष अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक अंशदान किया जाएगा और सरकार केवल उन व्यक्तियों के लिए अंशदान करेगी जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हों और जो आय कर दाता नहीं हों ।

4. अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के कौन ऐसे लाभार्थी हैं जो एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान के पात्र नहीं हैं **?**

सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल लाभार्थी, सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान के पात्र नहीं हैं। उदाहरणार्थ- निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्यों को सरकारी अंशदान प्राप्त नहीं होगा :

i. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
ii. कोयला खान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
iii. असम चाय बगान भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1955
iv. सीमेंस भविष्य निधि अधिनियम, 1966
v. जम्मू कश्मीर भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961
vi. अन्य कोई सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना

5. एपीवाई के अंतर्गत कितना पेंशन प्राप्त होगा **?**

प्रति माह न्यूनतम 1000/-, 2000/-, 3000/-, 4000/- और5000/- रुपए पेंशन राशि की गारंटी होती है जो अंशदानकर्ताओं को 60 वर्ष का होने पर एवं उनके अंशदान के अनुसार दी जाती है ।

6. एपीवाई में शामिल होने के क्या फायदे हैं **?**

एपीवाई में, सरकार द्वारा पात्र एपीवाई खाताधारक, जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के बीच योजना में शामिल होते हैं, को कुल अंशदान का 50% या 1000 रुपए प्रतिवर्ष, दोनों में से जो कम हो, अंशदान किया जाएगा। सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की अवधि तक 5 वर्षों के लिए अंशदान करेगी।

7. एपीवाई अंशदान को कैसे निवेश किया जाता है **?**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एपीवाई अंशदान का निवेश किया जाता है। एपीवाई पीएफआरडीए/सरकार द्वारा संचालित होती है।

8. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है **?**

i खाताधारक बैंक की उस शाखा में जाएं जहाँ उसका बचत खाता हो ।
ii एपीवाई पंजीकरण फॉर्म भरें ।
iii आधार / मोबाइल नंबर दें ।
iv मासिक अंशदान की राशि के अंतरण हेतु बचत बैंक खाता में अपेक्षित राशि रखना सुनिश्चित करें ।

9. क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है **?**

एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है। तथापि पंजीकरण हेतु, लाभार्थियों, जीवनसाथी, और नामितियों की पहचान करने के लिए आधार एक प्रमुख केवाईसी दस्तावेज होगा ताकि भविष्य में अधिकार एवं पात्रता संबंधी विवाद से बचा जा सके।

10. क्या मैं बचत बैंक खाता के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ**?**

नहीं । एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।

11. खाते में अंशदान करने की विधि क्या है **?**

सभी अंशदान मासिक आधार पर अंशदानकर्ता के खाते से ऑटो डेबिट द्वारा किए जाएंगे।

12. मासिक अंशदान की नियत तारीख क्या होती है **?**

मासिक अंशदान की नियत तारीख एपीवाई में अंशदान करने की पहली तारीख के अनुसार होगी ।

13. यदि अंशदान करने की नियत तारीख को बचत बैंक खाते में अपेक्षित या पर्याप्त राशि नहीं हो, तो क्या होगा **?**

अंशदान करने की निर्धारित तारीख को बचत बैंक खाते में अपेक्षित राशि नहीं होने को एक चूक माना जाएगा। विलंब से भुगतान किए जाने पर बैंक अतिरिक्त राशि वसूल करेगा जो निम्नानुसार प्रति माह 1 रुपए से 10 रुपए तक होगी :

i. प्रति माह 100 रुपए तक अंशदान के लिए 1 रुपए प्रति माह
ii. प्रति माह 101 रुपए से 500 रुपए तक अंशदान के लिए 2 रुपए प्रति माह
iii. प्रति माह 501 रुपए से 1000 रुपए तक अंशदान के लिए 5 रुपए प्रति माह
iv. प्रति माह 1001 रुपए से अधिक अंशदान के लिए 10 रुपए प्रति माह

अंशदान राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होगी :

i 6 माह के बाद खाता फ्रीज हो जाएगा.।
ii 12 माह के बाद खाता निष्क्रिय हो जाएगा।
iii 24 माह के बाद खाता बंद हो जाएगा।

अंशदानकर्ता यह सुनिश्चित करे कि बैंक खाते में इतनी राशि जमा रहे कि अंशदान राशि ऑटो डेबिट हो सके ।

ब्याज/ जुर्माने की निर्धारित राशि अंशदानकर्ता की पेंशन निधि का हिस्सा होगी।

14. मैं एपीवाई में कितना निवेश करूँ ताकि मुझे निश्चित रूप से **1000**रुपए पेंशन मिल सके **?**

शामिल होने की उम्र	अंशदान वर्ष	सूचक मासिक अंशदान
18	42	42

20	40	50
25	35	76
30	30	116
35	25	181
40	20	291

सभी अंशदान मासिक आधार पर अंशदानकर्ता के खाते से ऑटो डेबिट द्वारा किए जाएंगे।
*उम्र-वार अंशदान का विवरण अनुलग्नक **1** में देखें

15. क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन देना आवश्यक है **?**

हां । एपीवाई खाते में नामिती का विवरण देना अनिवार्य है। जहाँ प्रयोज्य हो**,** जीवनसाथी का विवरण देना भी अनिवार्य है। उनके आधार कार्ड का विवरण भी देना होगा।

16. मैं कितना एपीवाई खाते खोल सकता हूँ **?**

कोई अंशदानकर्ता केवल एक एपीवाई खाता खोल सकता है और वह विशिष्ट होता है।

17. क्या उच्चतर या निम्नतर पेंशन राशि के लिए मासिक अंशदान बढ़ाने या घटाने का कोई विकल्प है **?**

अंशदानकर्ता उपलब्ध मासिक पेंशन राशि के अनुसार संचय चरण के दौरान पेंशन राशि को घटा या बढ़ा सकता है, तथापि यह विकल्प वर्ष में एक बार, अप्रैल माह में उपलब्ध होगा।

18. एपीवाई से बाहर निकलने की क्या प्रक्रिया है **?**

क 60 वर्ष की उम्र होने :

पेंशन निधि के 100% वार्षिकीकृत होने के पश्चात 60 वर्ष की उम्र होने पर एपीवाई से एक्जिट किया जा सकता है। एक्जिट करने पर अंशदानकर्ता को पेंशन प्राप्त होने लगेगा।

ख किसी भी कारण से अंशदानकर्ता की मृत्यु होने पर :

अंशदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन प्राप्त होगा और दोनों (अंशदानकर्ता और जीवनसाथी) की मृत्यु होने पर उसके नामिती को पेंशन की कुल राशि का भुगतान कर दिया जाएगा ।

ग 60 वर्ष की उम्र से पहले एक्जिट करना :

60 वर्ष की उम्र से पहले एक्जिट की अनुमति नहीं दी जाती है तथापि केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे- लाभार्थी की मृत्यु या प्राणलेवा बीमारी में इसकी अनुमति दी जा सकती है ।

19. मैं कैसे अपने अंशदान की स्थिति जान सकूंगा **?**

अंशदान की स्थिति के बारे में अंशदानकर्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर समय-समय पर एसएमएस अलर्ट द्वारा सूचित किया जाएगा। अंशदानकर्ता को खाता विवरण भी प्राप्त होगा।

20. क्या मुझे लेन-देन का कोई विवरण प्राप्त होगा **?**

हां । अंशदानकर्ताओं को एपीवाई खाते का आवधिक विवरण दिया जाएगा ।

21. यदि मैं अपना आवास **/** नगर बदलता हूँ**,** तो मैं एपीवाई खाते में कैसे अंशदान कर सकूंगा **?**

स्थान बदलने की स्थिति में अंशदान ऑटो डेबिट के माध्यम से निर्बाध रूप से किया जा सकता है।

22. स्वावलंबन योजना के वर्तमान अंशदानकर्ताओं का क्या होगा **?**

- स्वावलंबन योजना के सभी पंजीकृत अंशदानकर्ता, जो 18 से 40 वर्ष के बीच के हों, वे स्वत: एपीवाई में शामिल हो जाएंगे, वैसे उनके पास बाहर निकलने का विकल्प भी होगा। तथापि एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए 5 वर्षों तक अंशदान का फायदा स्वावलंबन अंशदानकर्ताओं को उस सीमा के बाद प्राप्त हो पाएगा जिस सीमा तक उन्होंने पहले प्राप्त कर लिया होगा। इसका यह आशय है कि यदि स्वावलंबन लाभार्थी के रूप में उसे सरकार द्वारा किए गए अशंदान का फायदा 1 वर्ष प्राप्त हो चुका है, तो एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा सह-अंशदान का फायदा उसे और 4 वर्ष तक ही प्राप्त हो सकेगा। प्रस्तावित एपीवाई से बाहर निकलने को इच्छुक वर्तमान स्वावलंबन लाभार्थी, यदि पात्र हों, को 2016-17 तक सरकार द्वारा सह-अंशदान दिया जाएगा, और एनपीएस स्वावलंबन योजना तब तक जारी रहेगी जब तक इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति एक्जिट करने की उम्र के नहीं हो जाते हैं।
- 40 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य अंशदानकर्ता जो इस योजना से जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, वे एकमुश्त निकासी कर इस योजना से बाहर निकल सकते हैं ।
- 40 वर्ष से अधिक उम्र के अंशदानकर्ता 60 वर्ष की उम्र तक इस योजना से जुड़े भी रह सकते हैं, और वे वार्षिकी के लिए पात्र होंगे।
- वर्तमान स्वावलंबन योजना एपीवाई में स्वत: माइग्रेट हो जाएगी ।

<u>सूचक एपीवाई अंशदान चार्ट (उम्र-वार)</u> अनुलग्नक **1**

शामिल होने की उम्र	*अंशदान वर्ष*	*मासिक पेंशन 1000 रुपए .*	*मासिक पेंशन 2000 रुपए*	*मासिक पेंशन 3000 रुपए*	*मासिक पेंशन 4000 रुपए*	*मासिक पेंशन 5000 रुपए*
8	42	42	84	126	168	210
19	41	46	92	138	183	228
20	40	50	100	150	198	248
21	39	54	108	162	215	269
22	38	59	117	177	234	292
23	37	64	127	192	254	318
24	36	70	139	208	277	346
25	35	76	151	226	301	376
26	34	82	164	246	327	409
27	33	90	178	268	356	446
28	32	97	194	292	388	485
29	31	106	212	318	423	529

30	30	116	231	347	462	577
31	29	126	252	379	504	630
32	28	138	276	414	551	689
33	27	151	302	453	602	752
34	26	165	330	495	659	824
35	25	181	362	543	722	902
36	24	198	396	594	792	990
37	23	218	436	654	870	1,087
38	22	240	480	720	957	1,196
39	21	264	528	792	1,054	1,318
40	20	291	582	873	1,164	1,454